RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-06
June-2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[UGC Listed Journal]

अनुसूचित जाति के विधानमंडलीय अभिजन: भूमिकाएं एवं संपर्क संबंधों का समाजशास्त्रीय अध्ययन (उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा के विशेष संदर्भ में)

[1]हर नाम सिंह, [2]डॉ. यू. वी. सिंह

[1] शोध छात्र, समाजशास्त्र, सिंघानिया विश्वविद्यालय, झुंझुनू (राजस्थान)

[2] शोध निर्देशक, सिंघानिया विश्वविद्यालय, झुंझुनू (राजस्थान)

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 12 June 2019

Keywords
विधानमंडलीय अभिजन, अनुसूचित जाति, चुनाव, राजनीतिक भागीदारी

***Corresponding Author**
Email: abhishekparleg[at]gmail.com

ABSTRACT

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 तथा 332; राजनैतिक क्रियाओं में सहभागिता के लिए राज्यों की अनुसूचित जातियों, जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में समान अवसर प्रदान करने हेतु स्थान आरक्षित करते हैं ताकि विकास की प्रक्रिया में आम जनों के साथ समाज के शोषित, वंचित तथा पीड़ित व्यक्ति भी राजनीतिक भागीदारी कर सके| **अभिजनों** की **पृष्ठभूमि जानना, चुनाव लड़ने के कारणों** तथा चुनाव के दौरान जनता से किए वादों की जानकारी करना; और उनके भूमिका निर्वहन व संपर्क संबंधों का अध्ययन करना है| शोध छात्र ने उत्तर प्रदेश की 17 वीं विधानसभा के अनुसूचित जाति के कुल 96 (93 एम.एल.ए. तथा 3 एम.एल.सी.) विधानमंडलीय अभिजनों का अध्ययन किया है| 75% अभिजनों ने जनता की सेवा करना, 58.33% ने राजनैतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए, 66.67% सवर्ण लोगो द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों, उत्पीड़न से बचाव हेतु एवं 33.33% अभिजनों ने अन्य कारणों (अपनी जाति की सेवा, उत्थान, विकास कार्य कराने तथा शासन द्वारा दी जा रही विकास धन राशियों में किए जा रहे भ्रष्टाचार को रोकने) से चुनाव लड़े| परंतु अनुसूचित जाति अभिजनों द्वारा चुनाव लड़ने का मुख्य कारण 'जन सेवा करना' रहा है|*

राजनीतिक समानता सामाजिक समरसता के बिना अधूरी है; और विश्व का कोई भी समाज उस समय तक की लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता जब तक कि वह अपने सभी नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में समान रूप से प्रभावित करने के अवसर तथा अधिकार प्रदान नहीं कर देता| क्योंकि लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति अथवा पर को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता| लोकतंत्र की आधारशिला तथा आत्मा ही सभी जाति का वर्ग के नागरिकों को समान अधिकार समान अधिकार प्रदान करना है| भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 तथा 332; राजनैतिक क्रियाओं में सहभागिता के लिए राज्यों की अनुसूचित जातियों, जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में समान अवसर प्रदान करने हेतु स्थान आरक्षित करते हैं ताकि विकास की प्रक्रिया में आम जनों के साथ समाज के शोषित, वंचित तथा पीड़ित व्यक्ति भी राजनीतिक भागीदारी कर सके|[1] यह सोच कितना उचित, सार्थक तथा प्रासंगिक है; प्रस्तुत अध्ययन इस दिशा में लघु प्रयास है|

अभिजन शब्द प्रभावशाली, बुद्धिमान, चतुर, कुशल और समाज के शासक रूप में **विल्फ्रेड परेटो**[2] ने (1961:552) प्रयोग किया जबकि **प्रोफेसर नडाल**[3] ने लिखा है कि किसी भी अभिजन की की पहचान करने वाला प्रमुख लक्षण सामाजिक उच्चता/ श्रेष्ठता है; परंतु **समाजशास्त्री** मोस्का[4] (1959) का कथन है कि राजनीतिक अभिजन वर्ग में समाज कल्याण के लिए सत्ता धारियों का समावेश होता है जब कि **मार्शल**[5] (1964) के अनुसार अभिजनों का उद्देश्य अपना दूरगामी लक्ष्य प्राप्त करना होता है|

विधानमंडलीय अभिजन 'विधान मंडल' के सदस्य होते हैं जिन्हें की विधायक कहा जाता है| विधानमंडल के प्रथम सदन को विधानसभा और द्वितीय सदन को, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और कुछ सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो कभी भंग नहीं किया जा सकता, विधान परिषद कहा जाता है| प्रस्तुत अध्ययन उत्तर प्रदेश की 17 वीं विधानसभा के कुल

RRIJM 2015, All Rights Reserved

96 (93 एम.एल.ए. तथा 3 एम.एल.सी.) अनुसूचित जाति की राजनीति पर आधारित है|

अध्ययन का उद्देश्य

अभिजनों की **पृष्ठभूमि जानना, चुनाव लड़ने के कारणों** तथा चुनाव के दौरान जनता से किए वादों की जानकारी करना; और उनके भूमिका निर्वहन व संपर्क संबंधों का अध्ययन करना है| शोध छात्र ने उत्तर प्रदेश की 17 वीं विधानसभा के अनुसूचित जाति के कुल 96 (93 एम.एल.ए. तथा 3 एम.एल.सी.) विधानमंडलीय अभिजनों का अध्ययन किया है|

पद्धति शास्त्र

प्रस्तुत शोध हेतु प्राथमिक तथ्यों का संकलन 'साक्षात्कार अनुसूची' की 'प्रत्यक्ष पूछताछ प्रविधि' तथा 'प्रत्यक्ष निरीक्षण' विधियों द्वारा किया गया है और तथ्य विश्लेषण कार्य सांख्यिकी पद्धति से सूचना दाताओं की भावनाएं जानकर परिकल्पनाओं को वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणित करने की चेष्टा की गई है ताकि विभिन्न प्रवृत्तियों के सापेक्ष तर्कसंगत सारांश प्रस्तुत किए जा सकें|

तथ्य संकलन विश्लेषण तथा निर्वचन

यह अनुभव-आश्रित अध्ययन इस तथ्य की पुष्टि करता है कि अनुसूचित जाति के **अभिजनों** का चयन उच्च सामाजिक स्तरीकरण के उच्च प्रतिष्ठान समूहों से हुआ है जिनकी 58% की आयु 30 वर्ष तथा उससे कम है, 25% की आयु 30 से 40 वर्ष के मध्य और 17% की आयु 40 वर्ष तथा उससे अधिक है, इनमें से 16 (16.67%) साक्षर तथा 80 (83.33%) स्नातक से कम शिक्षित हैं| जिनमें 12 (12.50%) अविवाहित तथा शेष 84 (87.50%) विवाहित हैं, परिवारों के स्वरूप की दृष्टि से 32 (33.33%) केंद्रीय परिवारों तथा 64 (66.67%) संयुक्त परिवारों के हैं| व्यावसायिक संरचना के अनुसार 76.8% अभिजनों का व्यवसाय कृषि, 16.67% वकालत करने वाले तथा 8.33% चिकित्सा पाया गया है| स्पष्ट है कि निदर्श अभिजनों में व्यवसाय के बाद पेशेवर व्यवसाय का बहुमत है| जबकि जाति अपने उद्गम में व्यवसायिक नहीं है[6] घुरिये (196:215) | व्यवसाय यह इंगित करता है कि सामूहिक कार्यों से उठकर परिश्रम करें और जीवित रहे| इस विवेचना से स्पष्ट है कि व्यवसाय के साथ आय, प्रतिष्ठा, शक्ति, सुरक्षा आदि कई ऐसे कारक हैं जिनमें **विधानमंड**लीय **अभिजनों** की मूल्य एवं व्यावसायिक निर्धारित होती हैं जिनके आधार पर आचार-विचार, रहन-सहन व जीवनशैली के स्तर का भी निर्धारण होता है,

- चुनाव लड़ने के कारणों का अध्ययन करने पर पाया गया है कि 75% अभिजनों ने जनता की सेवा करना, 58.33% ने राजनैतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए, 66.67% सवर्ण लोगो द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों, उत्पीड़न से बचाव हेतु एवं 33.33% अभिजनों ने अन्य कारणों (अपनी जाति की सेवा, उत्थान, विकास कार्य कराने तथा शासन द्वारा दी जा रही विकास धन राशियों में किए जा रहे भ्रष्टाचार को रोकने) से चुनाव लड़े| परंतु अनुसूचित जाति अभिजनों द्वारा चुनाव लड़ने का मुख्य कारण 'जन सेवा करना' रहा है तथा अन्य विभिन्न कारण और पाये गए हैं जिनमें शोषित, पीड़ित, वंचित की संरक्षा-सुरक्षा तथा अभिप्रेरणा प्रदान करना भी हैं|

- चुनाव के समय अभिजन प्रत्याशियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वायदों के संदर्भ में प्राप्त जानकारियों के अनुसार 91.67% ने जनता की सेवा करना, 86.67% ने भ्रष्टाचार की समाप्ति, 100% ने स्थानीय समस्याओं का हल तथा विकास कार्य (सड़क, पुल, पेयजल की उपलब्धता, दलितों के उत्थान, विद्युतीकरण) तथा 50% प्रत्याशियों ने दलीय सिद्धांतों का पालन इत्यादि इस तरह के आश्वासन जनता को दिए|

- निदर्शित विधानमंडल विधानमंडलीय अभिजनों द्वारा अपने क्षेत्र की जनता से संपर्क के संबंध में प्राप्त तथ्यों के आलोक में स्पष्ट हुआ है कि अध्ययन किए गए कुल 96 अभिजनों में से 32

RRIJM 2015, All Rights Reserved

(33.34%) ने क्षेत्र की जनता से सतत व्यक्तिगत संपर्क किए हैं, 16(16.67%) ने सार्वजनिक सभाएं कर संपर्क किए हैं जबकि 48 (50%) अभिजनों ने सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत संपर्क संबंध कायम रखे हैं एवं सुख-दुख में साथ दिए हैं; जिसमें मृत्यु, शादी, त्यौहार आदि उल्लेखनीय हैं| विद्वानों की मान्यता है कि अभिजनों के अधिकार एवं शक्तियां अत्यंत विस्तृत हैं| प्रत्येक अभिजन से आशा की जाती है कि वह विधानमंडल के अंदर तथा बाहर अनेकों प्रकार की भूमिका निभाए| अध्ययन किए गए सभी 96 अनुसूचित जाति के विधानमंडलीय अभिजनों द्वारा निर्वाह की गई भूमिकाओं के संदर्भ में प्राप्त जानकारी के विश्लेषण के प्रकाश में स्पष्ट है कि शत प्रतिशत अभिजन विधानसभा में अनुसूचित जाति वर्ग के प्रति हो रहे अथवा अतीत में हुए अत्याचारों के प्रति आवाज उठाते हैं; जब कि सदन के बाहर अभिजनों की भूमिकाओं में 50% अभिजन अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को प्रेरित करते हुए उनकी सामुदायिक व्यक्तिगत समस्याएं सुलझाते हैं; 41.67% अपनी जातीय सभाओं को संबोधित करते हैं; 33.34% अभिजन, वंचित तथा उत्पीड़ित लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क करते हैं, इसके लिए वे सेशन समाप्ति के बाद अपने निर्वाचन क्षेत्र में 1 महीने में 10 से 15 दिन तक भ्रमण करते हैं|

शोधार्थी की मान्यता है कि मानवीय संबंधों के इतिहास में 'नेतृत्व' पहले कभी उतना महत्वपूर्ण नहीं था; जितना कि आज है| नेता; विशेषकर विधानमंडलीय अभिजन लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाज के मुख्य अभिजन होते हैं जो जनता की आकांक्षाओं तथा भावनाओं के प्रतिनिधि (लेन[7],1970: 46-61) तथा नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक होते हैं, जिन्हें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तन का शिल्पकार माना जाता है और आधुनिकीकरण को व्यवहारिक रूप देने का श्रेय उन्हीं को जाता है (आहूजा[8], 1975) इसलिए जरूरी है कि सदियों से शोषित पीड़ित वंचित वर्गों के चौमुखी विकास व अनुसूचित जाति वर्गों के उत्थान के लिए उनमें राजनीतिक जागरूकता जनित करने हेतु यथासंभव प्रयास किए जाएं विकास की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के वर्तमान दौर में उन्हें सहभागी होने के आधिकारिक अवसर सुलभ हो सकें जो कि सच्चे लोकतंत्र की आधारशिला तथा आत्मा है|

संदर्भ सूची

1. सिंह रवी प्रताप; अभिजन की अवधारणा एवं सिद्धांत, मित्तल प्रकाशन दिल्ली, 1989, पृष्ठ 1
2. पूर्वोक्त पृष्ठ 3
3. नेडेल एस. एफ.; द कंसेप्ट ऑफ सोशल इलीट, इंटरनेशनल सोशल साइंस बुलेटिन, 1956, पृष्ठ 8
4. मोस्का गेटानो; दि रूलिंग क्लास, मैकग्रा हिल बुक कंपनी, 1959, पृष्ठ 63
5. मार्शल आर. ई.; पॉलीटिकल इलीटस, लिटिल ब्राउन एंड कंपनी, 1964 पृष्ठ 11
6. घुरिये जी. एस.; कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, पॉपुलर प्रकाशन, मुंबई 1961 पृष्ठ 215
7. लेन एलेन; कंपैरेटिव गवर्नमेंट, द पेंगुइन प्रेस, 1970 पृष्ठ 46-61
8. आहूजा राम; पॉलीटिकल एंड मॉडर्नाइजेशन : द बिहार पॉलिटिक्स, मीनाक्षी पब्लिकेशन, मेरठ, 1975 पृष्ठ 39

RRIJM 2015, All Rights Reserved